

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना I.A.S.

प्रकरण संख्या - 23/2022 (अपील)

1. कान्हा आत्मज श्री धन्नालाल जाति अहीर निवासी कोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा -राज0

---अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

---रेस्पोजेन्ट



अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 14.02.2022 मि0नं0 426/2022 बउनवान सरकार बनाम कान्हा न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-13.06.2022

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम कोला की भूमि खसरा नम्बर 366 की 0.32 हे0 किस्म चारागाह में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 426/2022 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली के आदेश किया जाकर 100/- रुपये की शास्ति एवं एक माह (30 दिवस) का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 14.02.2022 को निर्णय पारित किया है।
2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 31.03.2022 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का की रिपोर्ट पर ग्राम कोला की खसरा नम्बर 364 की रकबा 0.32 हे0 किस्म चारागाह पर सम्बत 2078 में कब्जा कोट करने की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमी के आरोप में लगान का पचास गुना तावान 100/- कायम कर दिया तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी के आरोप में 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया है। अदालत मातहत का आदेश विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट का वर्तमान में किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है और जुर्माना रातिश जमा करा दी गई है। अपीलांट्स द्वारा भूमि से कब्जा छोड दिया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है जिसका सर्वप्रथम जानकारी पुलिस कर्म द्वारा अपीलांट्स को दिनांक 14.3.2022 को उक्त प्रकरण के संबंध में जानकारी देने पर अपीलांट्स द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 14.3.2022 को ही उक्त निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिसकी प्रमाणित नकल दिनांक 23.3.2022 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उक्त निर्णय की अपीलांट्स को जानकारी

जिला कलेक्टर
कोटा

हुई है इस पर अपीलांट द्वारा अधिवक्ता महो० से संपर्क कर यह अपील तैयार करवाकर प्रस्तुत की जा रही है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.02.2022 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। परोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस पेश की गई । अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित साक्ष्य एवं जवाबदेही तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर निर्णय पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से सपष्ट रूप से प्रमाणित है कि न्यायालय द्वारा आदेशिका पर चरपांदगी का आदेश नहीं होने के बावजूद भी तामील कुनिन्दा द्वारा अपीलांट के मकान पर उक्त तामील पर चरपांदगी का नोट अंकित कर तामील मान ली गई । उक्त तामील चरपांदगी कौनसी तारीख को दी गई है वह भी अंकित नहीं है जबकि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायालय के आदेश से ही सम्मन चरपा किया जा सकता है और चरपांदगी के साथ दो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर होना आवश्यक है । इस प्रकार सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार उक्त तामील दूषित है । उक्त पत्रावली पर अपीलांट नं० 2 व 3 के हस्ताक्षर भी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.2.2022 को निर्णय पारित किया गया उसी दिनांक को परफोर्म पर पटवारी के बयान लिये गये उक्त बयानों में भी वाईटनर लगाकर कांटछांट की हुई है । अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया है , जुर्माना राशि जमा करा दी गई है । भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में शपथपत्र प्रस्तुत करने को तैयार व तत्पर है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.2.2022 को अपास्त फरमायी जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावें ।
5. परोकार सरकार ने अपनी बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। गत वर्ष भी अतिक्रमी अपीलान्ट को मि० नं० 67/2020 दिनांक 09.11.2020 से बेदखल किया गया है / रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।
6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.02.2022 के विरुद्ध यह अपील दिनांक 31.03.2022 को पेश की गई, अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि शोभाराम, विद्यासागर, लालचन्द पुत्र द्वारकालाल जाति अहीर निवासी कोला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम कोला की सिवायचक चारागाह भूमि खसरा नम्बर 364 रकवा 0.32 हैक्टेयर में अनाधिकृत कब्जा कर कोट की हुई है। इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखली के आदेश करते हुए 100/- रुपये का जुर्माना तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। वकील अपीलांट का कथन कि अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है, अपीलान्ट को नोटिस प्रोपर तामिल नहीं हुए है नोटिस चरपांदगी की गई है चरपांदगी की रिपोर्ट पर तारीख अंकित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिस अनुसार नोटिस प्रोपर तामिल होना नहीं पाया गया है चूंकि नोटिस खुले मकान पर भी चरपांदगी की जा सकती है बशर्ते दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में चरपा किया



जिला कलेक्टर
कोटा

जावे, तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट पर गवाहान के हस्ताक्षर नाम पते अंकित हो । वकील अपीलान्ट द्वारा जुर्माना राशि जमा करा दिया जाना तथा कब्जा नहीं होना अंकित करते हुए भविष्य में उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर आमादा होने से यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को सशर्त रिमाण्ड किया जाना उचित पाते है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर सशर्त रिमाण्ड की जाती है कि ग्राम कोला तहसील रामगंजमण्डी की विवादित आराजी ख0नं0 364 रकबा 0.32 हे0 किस्म चारागाह पर से कब्जा हटा लिया हो, तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र पेश कर दे तथा मौके पर उक्त अतिक्रमित भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं होने की पुष्टि तहसीलदार स्वयं अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक से करवने जिसमें यह साबित हो जाए कि अपीलांट /अतिक्रमी द्वारा कब्जा छोड़ दिया है तो 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड के आदेश को निरस्त किया जाता है, शेष आदेश जुर्माना आदि यथावत रहेगा, यदि मौके पर अपीलांट कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड यथावत रहेगा । तहसीलदार रामगंजमण्डी अप्रार्थी अपीलांट को नियमानुसार उक्त सजा भुगतायेगा । अन्य आदेश जुर्माना वगै0 यथावत रहेगा ।
8. निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(हरि मोहन मीना)

जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा